

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी—डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 208/2020

तारीख रजू 26.11.2020

रामसिंह पुत्र लड्डू लाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा।

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।

— रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक 04.08.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 288/2020 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पीपल्दा के आराजी खसरा नम्बर 1134/722 रकबा 2.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन खलियान पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधिनस्थ न्यायालय की अपीलार्थीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को साक्ष्य सफाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा बिना सुनवाई के एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का के आधार पर बिना साक्ष्य सबूत के निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामिल अपीलान्त पर नहीं हुयी है फिर भी तामिल मानकर एक तरफा निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 1134/722 रकबा 2 बीघा किस्म गैर मुमकिन खलियान वाके ग्राम पीपल्दा पर अपीलान्त का कोई कब्जा काश्त नहीं है। यह भी निवेदन किया है कि पश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई

1c  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर



साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेशकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्त द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्त को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्त के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी है। यदि अपीलान्त की सजा माफ की जाती है तो राजकीय भूमि पर अतिचार के मामले बढ़ने की संभावना है जिससे गांव के व्यक्तियों को भी परेशानी का कारण बन सकता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्त को स्वयं को नोटिस की तामील करवायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्त अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलान्त का तर्क है कि अपीलान्त सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न जिसमें पश्चातवर्ती अतिचारी की रिपोर्ट का अंकन किया हुआ है। तथा पटवारी हल्का द्वारा भी अपने बयान में अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी होने बाबत बयान दर्ज कराये गये है। अतः पेशकार सरकार की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट/बयान के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपीलान्त बार-बार अतिक्रमण करने का आदि। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्त अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 यथावत रखा जात है।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

12  
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर